तत्काल/दस्ती

सं. ए/43019/एमएसीपी/5/मु.प्र.अ./का-2(बी)

रक्षा मंत्रालय

संयुक्त सचिव (स्था/मु.प्र.अ.) का कार्यालय

विषयः-संशोधित सुनिश्चित आजीविका प्रोन्नयन (एमएसीपी) योजना के अंतर्गत सशस्त्र सेना मुख्यालय/अंतर सेवा संगठनों में बहु कार्य कर्मचारी / बहु कार्य कर्मचारी (स्वागत) संवर्ग के कार्मिक को सतत् सेवा के 10/20/30 वर्ष पूर्ण कर लेने के उपरान्त प्रथम/ द्वितीय/ तृतीय वित्तिय उन्नयन।

संशोधित सुनिश्चित आजीविका प्रोन्नयन (एमएसीपी) योजना संबंधी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, के ज्ञापन सं. 35034/3/2008-स्था.(डी), दिनांक 19 मई 2009 सह पठित् ज्ञापन 16 नवम्बर 2009, 09 सितम्बर 2010, आई डी सं. 32536/सीआर/11 दिनांक 18 जनवरी 2012 तथा ज्ञापन सं. 35035/3/2015-स्था.(डी), दिनांक 28 सितम्बर 2016 में विहित नियमों एवं दिशा-निर्देशों के आलोक में, सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से **इस नोट के साथ संलगन परिशिष्ट - 'क' पर दर्शाये गये बहु कार्य कर्मचारी/ बहु कार्य कर्मचारी (स्वागत) को प्रथम/द्वितीय/तृतीय वित्तिय उन्नयन, जिसके लिये जो लागू हो, प्रदान किया जाता है।**

2. उपरोक्त वित्तिय उन्नयन विशुद्धतः वैयक्तिक रुप से दिया जाएगा और उसकी वरिष्ठता स्थिति से इसका कोई संबंध नही होगा। इसी प्रकार वरिष्ठ कर्मचारियों को इस आधार पर कोई अतिरिक्त वित्तिय उन्नयन नहीं दिया जाएगा कि इस ग्रेड में कनिष्ठ कर्मचारी ने संशोधित आजीविका प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत उच्चतर वेतन प्राप्त कर लिया है।

3. कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय के आई डी सं 32536/सी आर/11 दिनांक 18.01.2012 के अनुसार, एमएसीपी योजना में डॉयज-नान की अवधि को सतत् सेवा की अवधि में नहीं गिना जाएगा। वैसे, बहु कार्य कर्मचारी / बहु कार्य कर्मचारी (स्वागत) की क्रमशः वित्तिय उन्नयन प्रदान करने की तिथि, जो इस नोट के क्रम संख्या 16, 40, 53, 55, 56 तथा 57 पर दर्शाए गए है, जिनकी सेवा अवधि में डॉयज-नान अवधि है, उनके वित्तिय उन्नयन की तिथि तदानुसार बढ़ा दी गई है।

4. संबंधित कार्मिक का वेतन, केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016, के उपबंधो के अनुसार नियत किया जाएगा। तथापि, नियमित पदोन्नति, यदि एमएसीपी योजना के अंतर्गत यथा प्रदत्त समान वेतन लेवल में हुई है तो उस समय वेतन निर्धारण का अतिरिक्त लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। तदापि, एमएसीपी के अंतर्गत वित्तिय उन्नयन के समय प्राप्त होने वाले वेतन-मैट्रिक्स में लेवल, नियमित पदोन्नति के समय प्राप्त होने वाले वेतन-मैट्रिक्स में लेवल से अलग हो सकते है, यदि नियमित पदोन्नति वेतन मैट्रिक्स के दो क्रमिक लेवल में नहीं होती है। ऐसे मामलों में संबंधित कैडर/संगठन के पदक्रम में होने वाले नियमित पदोन्नति के समय प्राप्त होने वाला वेतन-मैट्रिक्स में उच्चतर लेवल, केवल नियमित पदोन्नति के समय ही दिया जाएगा।

रवीन्द्र कुमार

5. यदि कर्मचारी को वित्तिय उन्नयन का हकदार बनने से पहले नियमित पदोन्नति के प्रस्ताव दिया गया और उसने अस्वीकार कर दिया है , तो कोई वित्तिय उन्नयन नहीं दिया जाएगा क्योंकि अवसरों की कमी के कारण हुआ गतिरोध नहीं माना जाएगा। तदापि यदि वित्तिय उन्नयन की अनुमति गतिरोध के कारण नहीं दी गई है और तत्पश्चात कर्मचारी ने पदोन्नति से मना कर दिया है तो यह वित्तिय उन्नयन को वापस लेने का आधार नहीं होगा। फिर भी, वह अगले वित्तिय उन्नयन पर विचार करने का तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह पुनः पदोन्नति हेतु विचार किए जाने के लिए सहमत नहीं होता है और अगला वित्तिय उन्नयन भी, इंकार के कारण विवर्जन की अवधि तक स्थगित कर दिया जाएगा।

6. संबंधित प्रशासनिक अनुभाग वित्तिय उन्नयन प्रदान करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि संबंधित कर्मचारी के संबंध में सतर्कत्ता संबंधित कोई मामला लंबित अथवा विचाराधीन नहीं है, जिन मामलों में वित्तिय उन्नयन की तिथि इस आदेश के बाद की है।

7. उपरोक्त वित्तिय उन्नयन संशोधित सुनिश्चित आजिवका प्रोन्नयन (एमएसीपी) योजना के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जानें वाले अनुदेशों एवं दिशा-निर्देशों के अध्याधीन होंगें।

रवीन्द्र कुमार

(रवीन्द्र कुमार)
व.प्र.अ., मु.प्र.अ./कार्मिक-2(बी)
07 मार्च 2017

नौ सेना मुख्यालय/प्रशा (सिव) वायु सेना मुख्यालय/पी सी समन्वय एन डी सी

मु.प्र.अ./ए-1(ए) मु.प्र.अ./ए-1(बी) मु.प्र.अ./ए-2(ए) मु.प्र.अ./ए-2(बी)
मु.प्र.अ./ए-3(ए) मु.प्र.अ./ए-3(बी) मु.प्र.अ./ए-4(ए) मु.प्र.अ./ए-4(बी)
मु.प्र.अ./ए-5(ए) मु.प्र.अ./ए-5(बी) मु.प्र.अ./ए-6(ए) मु.प्र.अ./ए-6(बी)
मु.प्र.अ./ए-7(ए) मु.प्र.अ./ए-7(बी)

प्रतिलिपिः-
सशस्त्र सेना मुख्यालय/ अंतर सेवा संगठनों के सभी संबंधित समन्वय अनुभाग

सूचना पटल

मु.प्र.अ. वेबसाईट (http://www.caomod.gov.in)
द्वारा ई.डी.पी. प्रकोष्ट